संख्या- 21/2019/929/बयालिस-2019-16(बजट)/2018

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 25 अप्रैल, 2019**

विषय :- जनपद वाराणसी स्थित स्पोर्टस स्टेडियम में खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत/सुदृढीकरण एवं आवासीय काम्पलेक्स खिलाडियों के रहने हेतु पार्किंग के साथ खिलाडियों के लिए चेजिंग रूम निर्माण हेतु धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 76/नि0 वाराणसी स्टे0 पत्रा/2018-19, दिनांक 22.04.2019 एवं शासनादेश संख्या-1169/बयालिस-2018-16(बजट)/2018, दिनांक 04 सितम्बर, 2018, शासनादेश संख्या- 2134/बयालिस-2018-16(बजट)/2018, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 एवं 527/ बयालिस-2019-16(बजट)/2018, दिनांक 27.02.2019 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी स्थित स्पोर्टस स्टेडियम में खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत/सुदृढीकरण एवं आवासीय काम्पलेक्स खिलाडियों के रहने हेतु पार्किंग के साथ खिलाडियों के लिए चेजिंग रूम के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि रू0 755.21 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष- 2018-19 में रू0 422.08 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 333.13 लाख के सापेक्ष बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 243.41 लाख (रूपया दो करोड़ तैतालिस लाख इक्तालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(2)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षत अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3)- कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर- 7 में उल्लिखित परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियंत्रित करने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6)- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में अंकित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(7)- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायगा कि कार्यो के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जाएगा।

(8)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्र0वि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10)- प्रश्नगत स्वीकृत बजट एवं परिव्यय के सीमान्तर्गत ही निर्गत की जायगी।

(11)- कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर- 2(11)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12)- वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(14)- निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(15)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यक्तानुसार कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(16)- प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उततरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(17)- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे :- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18)- निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानिटरिंग भी किया जायेगा।

(19)- लेबर सेस/जी0एस0टी0 के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(20)- निदेशक, खेल द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर- 2(11) (क) के अनुसार निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था को निर्गत धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(21)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य स्रोत्र में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(22)- शासनादेश संख्या- 1169/बयालिस-2018-16(बजट)/2018, दिनांक 04 सितम्बर, 2018, शासनादेश संख्या- 2134/बयालिस-2018-16(बजट)/2018, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 527/बयालिस-2019-16(बजट)/2018, दिनांक 27.02.2019 की शेष शर्ते यथावत् रहेगी ।

(23)- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 की वर्तमान में प्रचलित वर्ष- 2018 की जनपद की अनुसूची दरें तथा कोटेशन/बाजार दरों के आधार पर प्रयुक्त करते हुए सम्बन्धित संस्था द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तैयार किया गया है जिसके आधार पर पी0एफ0ए0डी0 द्वारा परियोजना की लागत का परीक्षण किया गया है।

(24)- प्रायोजनान्तर्गत स्पिलिट ए0सी0, अलमीरा, आर0ओ0 प्लांट का प्रावधान किया गया है। कियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करेंगे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: सम्बन्धित कार्यदायी संस्था निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर करेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2019-20 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक '' 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा-800-अन्य व्यय-98-जनपद वाराणसी स्थित स्पोर्टस स्टेडियम-9801-खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत/सुदृढीकरण का कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य '' के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च**,** 2019 में निहित प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 929(1)/बयालिस-2019-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, वाराणसी।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
10- नियोजन अनुभाग- 4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in